भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 65
दिनांक 21जून, 2019 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

**65.** एडवोकेट अदूर प्रकाशः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे किः

(क) 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना' योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित और जारी कीगई है;
(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई है; और
(घ) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि बड़ी संख्या में महिलाओं को उक्त योजना के तहत लाभ से वंचित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 01 जनवरी, 2017 से केंद्रीय प्रायोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) चला रहा है । अब तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना -सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई - सीएएस) पर पूरे देश से 95,56,577 लाभार्थियों से 2,28,09,417 आवेदन प्राप्त हुए हैं (18 जून, 2019 तक की स्थिति के अनुसार) । 82,18,494 पात्र लाभार्थियों को 31,47,80,49,000 रुपये (केंद्रीय एवं राज्य शेयर सहित) के मातृत्व लाभ का भुगतान किया गया है ।

(ख) और (ग) : पीएमएमवीवाई के तहत संस्वीकृत/निर्मुक्त तथा लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में संलग्न है ।

(घ) : पीएमएमवीवाई के तहत पात्र महिलाओं को लाभ प्रदान न किए जाने का ऐसा कोई मामला मंत्रालय की जानकारी में नहीं आया है ।

*****

अनुलग्नक

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा दिनांक 21.06.2019 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 65 के उत्तर के भाग (ख) और (ग) में संदर्भित विवरण

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संस्वीकृत/निर्मुक्त निधियों और लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण (18.06.2019 को)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत/निर्मुक्त निधि का केंद्रीय शेयर (रुपये लाख में) | लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 249.96 | 3,317 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 21,124.11 | 6,02,242 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 948.83 | 6,608 |
| 4. | असम | 11,265.26 | 1,89,085 |
| 5. | बिहार | 18,604.38 | 3,76,489 |
| 6. | चंडीगढ़ | 594.82 | 11,615 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 6,408.43 | 2,15,811 |
| 8. | दादर और नागर हवेली | 178.47 | 3,677 |
| 9. | दमन और दीव | 90.54 | 1,864 |
| 10. | दिल्ली | 2,804.65 | 90,465 |
| 11. | गोवा | 276.11 | 9,002 |
| 12. | गुजरात | 16,145.84 | 4,08,490 |
| 13. | हरियाणा | 7,999.14 | 2,63,428 |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | 3,945.22 | 92,301 |
| 15. | जम्मू और कश्मीर | 3,966.26 | 82,386 |
| 16. | झारखंड | 7,076.07 | 2,05,931 |
| 17. | कर्नाटक | 16,824.73 | 4,85,170 |
| 18. | केरल | 9,050.91 | 2,75,080 |
| 19. | लक्षद्वीप | 32.26 | 483 |
| 20. | मध्य प्रदेश | 30,902.00 | 10,83,029 |
| 21. | महाराष्ट्र | 24,616.72 | 7,54,131 |
| 22. | मणिपुर | 1,549.07 | 11,556 |
| 23. | मेघालय | 1,212.83 | 6,438 |
| 24. | मिजोरम | 1,005.48 | 12,145 |
| 25. | नागालैंड | 1,087.06 | 4,875 |
| 26. | ओडिशा* | 7,526.33 | 5 |
| 27. | पुद्दुचेरी | 395.21 | 9,280 |
| 28. | पंजाब | 6,678.57 | 1,80,792 |
| 29. | राजस्थान | 21,092.40 | 7,00,944 |
| 30. | सिक्किम | 375.33 | 4,408 |
| 31. | तमिलनाडु | 12,745.85 | 2,18,173 |
| 32. | तेलंगाना** | 7,581.40 | 0 |
| 33. | त्रिपुरा | 1,941.49 | 28,234 |
| 34. | उत्तर प्रदेश | 48,263.40 | 14,73,639 |
| 35. | उत्तराखंड | 4036.65 | 72,110 |
| 36. | पश्चिम बंगाल | 13,183.75 | 3,35,291 |
| कुल योग | | 3,11,779.52 | 82,18,494 |

* राज्य अपना मातृत्व लाभ कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है । मंत्रालय राज्य को अपने मातृत्व लाभ कार्यक्रम के साथ को-ब्रांडिंग के तहत पीएमएमवीवाई को क्रियान्वित करने की अनुमति देता है ।

** राज्य अपना मातृत्व लाभ कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है । मंत्रालय राज्य को अपने मातृत्व लाभ कार्यक्रम के साथ को-ब्रांडिंग के तहत पीएमएमवीवाई को क्रियान्वित करने की अनुमति देता है । तकनीकी एकीकरण का परीक्षण कर लिया गया है ।